न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : ओम प्रकाश विश्नोई, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 36/2020

प्रार्थी–	*बनाम*	अप्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर		गोपाराम पुत्र हरी राम जाति माली निवासी गांधीपुरा, पचपदरा जिला बाड़मेर (मैसर्स सेवन इलेवन अमूल डेयरी, पचपदरा जिला बाड़मेर का मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री माधोसिंह चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 31.01.2022

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि प्रार्थी ने दौराने गश्त दिनांक **13.10.2019** को अप्रार्थी के प्रतिष्ठान **मैसर्स सेवन इलेवन अमूल डेयरी, पचपदरा जिला बाड़मेर** में निरीक्षण के दौरान पर एक फ्रीज में कुल 10 किग्रा विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **दही ब्राण्ड अमूल लाईट (200 एमएल)** भरा हुआ पाया, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार **200–200 एमएल के चार पैकेट दही ब्राण्ड अमूल लाईट (200 एमएल)** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–1097** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये [illegible] खाद्य पदार्थ **दही ब्राण्ड अमूल लाईट (200 एमएल)** का [illegible] विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को [illegible] खाद्य विश्लेषक, [illegible] सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **दही ब्राण्ड अमूल लाईट (200 एमएल)** का नमूना **अवमानक (Sub-standard)** पाये जाने पर अप्रार्थी को जरिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2022.02.11 18:00:54 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत ज़ुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने अपने लिखित जवाब में निवेदन किया कि निरीक्षण के समय अप्रार्थी द्वारा अनुज्ञा पत्र लेने के लिए आवेदन किया हुआ था और विभाग द्वारा दिनांक 25.10.2019 को ही जारी किया गया है। साथ ही अप्रार्थी ने यह भी निवेदन किया कि उक्त सभी माल वह सीलबंद हालत में हॉलसेलर से खरीदकर रिटेल में बेचने का ही कार्य करता है। इसके अलावा उक्त खाद्य सामग्री के विनिर्माण में उसकी किसी प्रकार की कोई भूमिका नहीं है। लिहाजा अप्रार्थी के विरूद्ध उक्त प्रकरण को निरस्त फरमाया जावे।

3. हमने प्रस्तुत परिवाद पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **24.10.2019** में उक्त नमूना **अवमानक (Sub-standard)** खाद्य का पाया गया है। जांच रिपोर्ट अनुसार **Milk Fat** मानक स्तर न्यूनतम **1.50%** के मुकाबले में **1.25%** पाया गया है जो कि मानक स्तर से कम है और **Milk solids not fat** न्यूनतम **8.50%** के मुकाबले **10.28%** है। इस पर अप्रार्थी को पदाभिहीत अधिकारी द्वारा नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया इसके बावजूद अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब/उजर प्रस्तुत नहीं किया गया। यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु अप्रार्थी को तलब किया गया। इस पर अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब में दही का निर्माण नहीं किये जाने एवं जैसा क्रय किया वैसा ही विक्रय किये जाने [illegible] नरमाई का रूख अपनाते हुये उक्त प्रकरण को खारिज किये जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी द्वारा जांच अधिकारी खाद्य सुरक्षा अधिकारी [illegible] प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रकट किय है कि मेरे पास खाद्य पदार्थ दही [illegible] अमूल का कोई बिल नहीं है और

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2022.02.11 18:00:54 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

न ही पेश कर सकता हूं। अतः मुझे अंतिम पार्टी मानकर अग्रिम कार्यवाही की जावे। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा अपने प्रतिष्ठान से विक्रय हेतु रखे गये खाद्य पदार्थ की मानकता के स्तर का नहीं होने से उसकी गुणवता के लिए उसका उत्तरदायित्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत अप्रार्थी का है किन्तु अप्रार्थी ने अपने जवाब में इस दायित्व से विमुख होने का प्रयास किया हैं। लिहाजा अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर **रूपये 50,000/–** का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक **31.01.2022** को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ओम प्रकाश विश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिरट्रेट बाडमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2022.02.11 18:00:54 IST
Reason: SelfAttested